

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर(छ.ग.)केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर - 495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260017, 260368, 260376 फ़ैक्स : 07752-260154, वेबसाइट : www.ggu.ac.in

**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**A Central University established by the Central Universities Act, 2009
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone 07752-260017, 260368, 260376, FAX : 07752-260154, Website : www.ggu.ac.in

क्र. 3310 / भर्ती / प्रशा. / 2021

विज्ञापन**बिलासपुर, दिनांक .24.08.2021**

(रोलिंग प्रणाली के अंतर्गत)

रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत निम्न पदों के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

01. आचार्य 02. सह प्राध्यापक 03. सहायक प्राध्यापक - विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों हेतु।
01. विज्ञापन अवधि में निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरे हुये आवेदन केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के पते पर भेजा जाना है। तथापि, विदेश में (भारत से बाहर) रहने वाले आवेदक अपना आवेदन registrar@ggu.ac.in पर ई-मेल से भेज सकते हैं।
02. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ, रु. 500/- का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क (अजा/अजजा/दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये छूट) कुलसचिव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) के नाम से देय एवं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आहरण योग्य डिमांड ड्राफ्ट के रूप में या विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से आन लाईन जमा करने पर जमा पर्ची की प्रति, अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।
03. आवेदन पत्र (संलग्नक-I), रिक्त पदों की संख्या (संलग्नक-II), न्यूनतम अर्हता (संलग्नक-III), सामान्य अनुदेश (संलग्नक-IV), समवर्गी विषय (संलग्नक-V), ए.पी.आई. प्रारूप (संलग्नक-VI) विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ggu.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
04. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार आरक्षण एवं छूट प्रदान की जायेगी।
05. जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में विज्ञापन क्र. 105/भर्ती/प्रशा./2019 दिनांक 03.06.2019 के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें विज्ञापन में उल्लेखित पद और पात्रता के अनुसार पुनः नवीन आवेदन प्रेषित करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क से छूट रहेगी, परंतु उन्हें पूर्व में प्रेषित किये गये आवेदन और जमा किये गये आवेदन शुल्क का विवरण आवेदन पत्र में देना होगा।
06. विज्ञापन में अलग-अलग श्रेणियों के अंतर्गत विभिन्न पदों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार (यदि कोई हो तो) के अनुक्रम में रिक्त पदों (रोस्टर) में परिवर्तन किया जा सकेगा।
07. इस विज्ञापन के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही, परिवर्तन अथवा संशोधन की जानकारी केवल विश्वविद्यालय के वेबपटल पद प्रदर्शित की जायेगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अधिक जानकारी के लिये विश्वविद्यालय की वेबपटल का नियमित अवलोकन करें एवं अपने आपको को अद्यतन रखें।

कुलसचिव